दिल्ली उच्च न्यायालय : नई दिल्ली

निर्णय तिथि: 20 जनवरी, 2025

के मामले में:

सिविल वाद (मूल पक्ष) 1965/2012
CS(OS) 1965/2012

सोनाक्षी गुप्ता .....वादी

द्वारा: श्री गिरिराज सुब्रमण्यम, श्री सिमरपाल सिंह साहनी, श्री जॉय बनर्जी एवं श्री रवि पाठक, अधिवक्तागण।

बनाम

एल.आर. गुप्ता, एचयूएफ व अन्य .....प्रतिवादीगण

द्वारा: श्री अक्षय चितकारा एवं श्री ऋषभ तोमर, प्र.-6 की ओर से अधिवक्तागण।
श्री रिक्की गुप्ता एवं सुश्री अनन्या सिंह, प्र.-7 से प्र.- 20 की ओर से अधिवक्तागण।
श्री तन्मया मेहता, प्र.-21 व प्र.-22 की ओर से अधिवक्ता।

कोरमः
माननीय न्यायाधीश श्री सुब्रमोणियम प्रसाद

निर्णय

अंतर्वर्ती आवेदन (अंतर.आ) 13190/2013, अंतर्वर्ती आवेदन (अंतर.आ) 5097/2013, अंतर्वर्ती आवेदन (अंतर.आ) 8405/2013, अंतर्वर्ती आवेदन (अंतर.आ) 13383/2012

1. वर्तमान आवेदन–प्रतिवादी सं. 2 द्वारा दायर अंतर.आ. 13383/2012, प्रतिवादी सं. 21 और 22 द्वारा दायर अंतर.आ 5097/2013, प्रतिवादी सं. 5 द्वारा दायर अंतर.आ 8405/2013, और प्रतिवादी सं. 6-19 द्वारा दायर अंतर.आ 13190/2013–प्रतिवादी सं. 2, 5, 6 से 19, 20 और 21 की ओर से, वाद-पत्र को खारिज करने के लिए सी.पी.सी. के आदेश VII नियम 11 के तहत दायर किए गए हैं।

2. वादी ने वाद-पत्र के साथ संलग्न अनुसूची 'क' और अनुसूची 'ख' में वर्णित प्रतिवादी सं. 1 की एचयूएफ संपत्तियों के संबंध में विभाजन, खातों को प्रस्तुत करने और व्यादेश हेतु यह वर्तमान वाद दायर किया है। वादी ने निम्नलिखित प्रार्थनाओं हेतु इस न्यायालय का सहारा लिया है:-

> *"क) वाद-पत्र के साथ संलग्न अनुसूची 'क' और 'ख' में उल्लिखित संपत्तियों और आस्तियों (चल और अचल, दोनों प्रकार की संपत्तियां) के विभाजन और पृथक कब्ज़े के लिए; तथा उन संपत्तियों, आस्तियों और धन के कब्ज़े की सुपुर्दगी के लिए, जो वादी के हिस्से में आएंगे–जो कि 8.33% है।*
>
> *ख) प्रतिवादी सं. 1 से 3 के विरुद्ध और वादी के पक्ष में एक प्रारंभिक डिक्री पारित की जाए, जिसके द्वारा उन्हें यह निर्देश दिया जाए कि वे वाद-पत्र की अनुसूची 'क' और 'ख' में वर्णित एचयूएफ की संपत्तियों और आस्तियों का समस्त लेखा-जोखा प्रस्तुत करें, और इस संबंध में जुलाई 1987 से लेकर इस वाद*

को दायर किए जाने की तिथि तक की समस्त लेखा-पुस्तकों को प्रस्तुत करें।

ग) खाते प्रस्तुत किए जाने के बाद, वादी के पक्ष में और प्रतिवादीगण के विरुद्ध जो राशि बकाया पाई जाती है, उसकी वसूली के लिए एक अंतिम डिक्री पारित की जाए; साथ ही, वाद दायर करने की तिथि से लेकर डिक्री की राशि की वसूली होने तक, 24% प्रति वर्ष की दर से वाद-लंबित ब्याज भी प्रदान किया जाए।

घ) स्थायी व्यादेश हेतु:-

i. प्रतिवादी सं. 1, 2, 3 और प्रतिवादी सं. 7 से 20, तथा उनके एजेंटों सेवकों, प्रतिनिधियों, कर्मचारियों या किसी भी अन्य संबंधित पक्षकार को, वाद-पत्र की अनुसूची-क में विस्तृत रूप से वर्णित संपत्तियों के संबंध में, किसी भी प्रकार से उनका हस्तांतरण करने, बेचने, कब्ज़ा छोड़ने, किराए पर देने या कोई भी किरायेदारी बनाने, किसी तीसरे पक्ष के अधिकार निर्मित करने, अथवा किसी भी अन्य तरीके से उनमें कोई भी व्यवहार करने से प्रतिबंधित किया जाता है।

ii. प्रतिवादी सं. 1, 2, 3 और प्रतिवादी सं. 7 से 20, तथा उनके एजेंट, नौकर, प्रतिनिधि, कर्मचारी या किसी भी अन्य संबंधित पक्षकार को, वाद-पत्र की अनुसूची-क में विस्तृत रूप से वर्णित अचल संपत्तियों के संबंध में–जिसमें 47, अमृता शेरगिल मार्ग पर स्थित 5000 वर्ग गज क्षेत्रफल वाली संपत्ति भी शामिल है–किसी भी प्रकार का निर्माण करने से रोकना।

3. वंश-क्रम इस प्रकार है:-

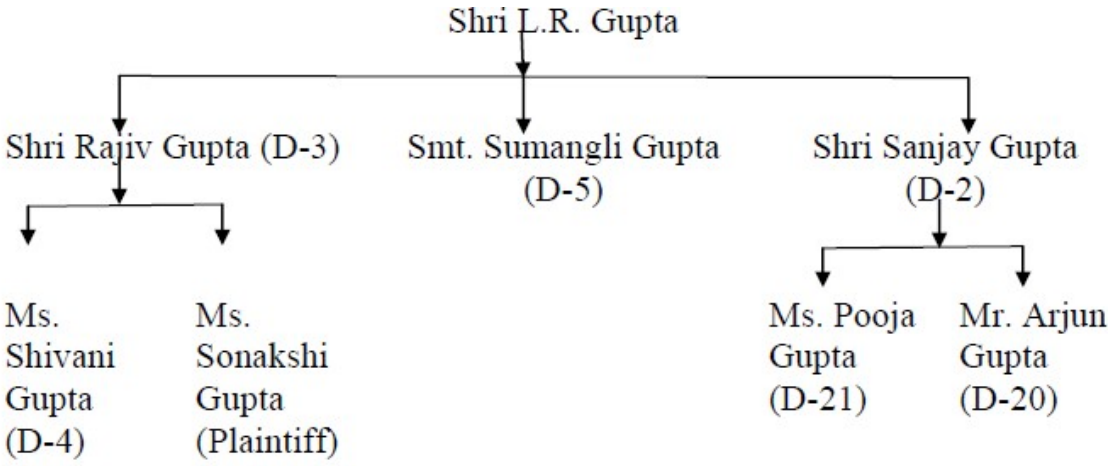

4. इसमें कहा गया है कि वादी संयुक्त हिंदू परिवार, एल.आर. गुप्ता एचयूएफ की सह-भागीदार है, जो इस मामले में प्रतिवादी सं. 1 है। इसमें यह भी कहा गया है कि एचयूएफ की अचल संपत्तियों और अन्य चल संपत्तियों में वादी का हिस्सा है, और उसे इन दोनों प्रकार की संपत्तियों में अपना हिस्सा अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है।

5. यह बताया गया है कि स्वर्गीय श्री एल.आर. गुप्ता द्वारा प्रतिवादी सं. 3 और स्वर्गीय श्री एल.आर. गुप्ता की पत्नी के विरुद्ध व्यादेश हेतु एक वाद, जिसका क्रमांक 706/1998 था, दायर किया गया था; और यही वह आधार है जिसके चलते वर्तमान वाद के प्रतिवादीगण ने यह स्वीकार किया है कि इस वाद में जिन सभी संपत्तियों को एचयूएफ की संपत्ति होने का दावा किया गया है, वे पूर्व में भी एचयूएफ की ही संपत्तियां थीं और वर्तमान में भी एचयूएफ की ही संपत्तियां हैं। वाद-पत्र में इस मामले की वर्तमान स्थिति का कोई उल्लेख नहीं किया गया है।

6. यह कहा गया है कि स्वर्गीय श्री एल.आर. गुप्ता ने एचयूएफ के संबंध में 'कर्ता' के रूप में कार्य किया और अन्य सह-भागीदारों के प्रति अपने कर्तव्यों के निर्वहन में एक जिम्मेदार व्यक्ति की हैसियत से कार्य किया। तथापि, व्यावसायिक मामलों और अचल संपत्तियों के प्रबंधन में कुप्रबंधन हुआ, और एचयूएफ के कोष का दुरुपयोग किया गया। यह कहा गया है कि प्रतिवादी सं. 2 संपत्तियों के कुप्रबंधन और अपने निजी लाभ के लिए कोष के दुरुपयोग का दोषी है, जिसके परिणामस्वरूप एचयूएफ को हानि उठानी पड़ी है।

7. अभिलेख पर मौजूद सामग्री से यह पता चलता है कि प्रतिवादी सं. 3, अर्थात् राजीव गुप्ता, जो कि इस मामले में वादी के पिता हैं, ने इस न्यायालय के समक्ष वाद सं. 1968/2003 के रूप में एक वाद दायर किया था, जिसमें उन्होंने प्रतिवादी सं. 1, अर्थात् एल.आर. गुप्ता एचयूएफ के विभाजन और खातों के विवरण की मांग की थी।

8. इस मामले में प्रतिवादी सं. 3, वाद सं. 1968/2003 में वादी थे। उक्त वाद में चार प्रतिवादी थे। इस मामले में प्रतिवादी सं. 1, अर्थात् एल.आर. गुप्ता एच.यू.एफ., उक्त वाद में प्रतिवादी सं. 1 हैं। इस मामले में प्रतिवादी सं. 2, उक्त वाद में प्रतिवादी सं. 3 हैं। इस मामले में प्रतिवादी सं. 5, अर्थात् सुमंगली गुप्ता उर्फ सुश्री सुमंगली जैन, उक्त वाद में प्रतिवादी सं. 4 हैं।

9. वाद सं. 1968/2003 के माध्यम से, इसमें प्रतिवादी सं. 3 ने प्रतिवादी सं. 1 के विभाजन की मांग की थी। यह उल्लेख करना प्रासंगिक है कि वाद सं.

1968/2003 के लंबित रहने के दौरान, हिंदू उत्तराधिकार (संशोधन) अधिनियम, 2004 अधिनियमित किया गया था और यह दिनांक 9 सितंबर, 2005 को लागू हुआ। संशोधित हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम ने सह-भागीदार की बेटी की स्थिति को ऊँचा उठाया है, जिससे वह बेटे की ही तरह अपने आप में एक सह-भागीदार बन गई है। इस संशोधित अधिनियम के तहत, सह-भागीदार की बेटी को अब संपत्ति में वही अधिकार प्राप्त होते हैं, जो उसे तब मिलते, यदि वह एक बेटा होती।

10. वह मुकदमा एक समझौते के साथ समाप्त हो गया। सी.पी.सी. के आदेश XXIII नियम 3 के तहत एक आवेदन (अंतर.आ. सं. 220/2006) दायर किया गया, और पक्षकारों के बीच हुए समझौते के आधार पर 09.01.2006 को मुकदमे का निर्णय सुना दिया गया। सी.पी.सी. के आदेश XXIII नियम 3 के तहत दायर किया गया यह आवेदन साफ़ तौर पर बताता है कि इसमें प्रतिवादी सं. 3, जो उस मुक़दमे में वादी है, प्रतिवादी सं. 1 के संयुक्त हिंदू परिवार से एक मौखिक पारिवारिक समझौते के तहत अलग हो गयी थी; इस समझौते को दिनांक 21.10.1993 को लिखित रूप दिया गया था, जिसके तहत उस मुक़दमे के वादी–अर्थात्, इसमें प्रतिवादी सं. 3–को कुछ संपत्तियाँ और कुछ धनराशि दी गई थी।

11. दिनांक 09.01.2006 का पूरा आदेश निम्नानुसार है:-

"1. वादी ने वाद-पत्र के साथ संलग्न अनुसूची "A" और "B" में वर्णित, प्रतिवादी सं. 1 की एचयूएफ संपत्तियाँ कही जाने वाली संपत्तियों के संबंध में, बँटवारे, खातों को प्रस्तुत करने और व्यादेश के लिए यह वर्तमान वाद दायर किया है। ***प्रतिवादी 1 से 3 ने अपने लिखित बयान में यह कहा था कि वादी, एल.आर. गुप्ता, एचयूएफ के संयुक्त हिंदू परिवार से एक मौखिक पारिवारिक समझौते के तहत अलग हो गया था; इस समझौते को 21.09.1993 को लिखित रूप दिया गया था, जिसके अंतर्गत वादी को कुछ संपत्तियाँ आवंटित की गई थीं और उसे कुछ धनराशि का भुगतान भी किया जाना था।*** *इसके बाद, दोनों पक्षकारों के बीच मतभेद और विवाद उत्पन्न होते प्रतीत हुए, जिसके परिणामस्वरूप वादी ने यह वर्तमान वाद दायर किया।*

2. अब, पक्षकारों ने उन सभी मतभेदों और विवादों को सुलझा लिया है और समझौते की शर्तों को इस आवेदन में दर्ज किया है, जिस पर वादी के साथ-साथ प्रतिवादी 2 और 3 ने भी हस्ताक्षर किए हैं। ***जहां तक प्रतिवादी सं. 1 का संबंध है, इस बात पर आम सहमति है कि उक्त एचयूएफ वर्ष 1993 में ही विघटित हो चुका था।*** *हालाँकि, श्री एल.आर. गुप्ता ने अत्यधिक सावधानी बरतते हुए प्रतिवादी सं. 1 की ओर से हस्ताक्षर किए हैं, जहाँ तक प्रतिवादी सं. 4 का संबंध है, वादी के विद्वान अधिवक्ता का कहना है कि प्रतिवादी सं. 4 के विरुद्ध किसी भी प्रकार की राहत की माँग नहीं की गई है; साथ ही, वादी और प्रतिवादी– दोनों पक्षकारों के विद्वान अधिवक्तागण का यह भी कहना है कि प्रतिवादी सं. 4 के संबंध में कोई विवाद नहीं है, उल्लेखनीय है कि प्रतिवादी सं. 4, प्रतिवादी सं. 2, श्री एल.आर. गुप्ता, की पुत्री और वादी की बहन हैं और समन की तामील होने के बावजूद, उन्होंने इन कार्यवाहियों के दौरान उपस्थित होना उचित नहीं समझा है। अतः, यह समझौता जो किया जा रहा है, वह मूल रूप से एक ओर वादी और दूसरी ओर प्रतिवादी 2 और 3 के बीच है। समझौते की अन्य शर्तें उस आवेदन में दी गई हैं, जिसे प्रदर्श ग-1 के रूप में प्रस्तुत किया गया है।*

3. केवल दो औपचारिकताएं पूरी करनी बाकी थीं: वेतन आदेश और दो पोस्टडेटेड चेक सौंपना। वेतन आदेश 3.50 करोड़ रुपये का है और दोनों चेक 1.50 करोड़ रुपये प्रत्येक के हैं। यह वेतन आदेश और दोनों चेक न्यायालय में उपस्थित वादी को सौंप दिए गए हैं और उन्होंने इनकी प्राप्ति स्वीकार कर ली है। प्रतिवादी सं. 3 ने इन दोनों चेकों पर हस्ताक्षर किए हैं, और वह यह वचन देता है कि नियत तारीखों पर प्रस्तुत किए जाने पर इन चेकों का भुगतान कर दिया जाएगा। 4 पालन मार्ग, वसंत विहार, नई दिल्ली की चाबियाँ भी प्रतिवादी द्वारा वादी को सौंप दी गई हैं; वादी न्यायालय में उपस्थित है और उसने ये चाबियाँ प्राप्त कर ली हैं। यह स्पष्ट है कि चाबियाँ सौंपने का अर्थ यह है कि अब वादी के पास उक्त परिसर का खाली भौतिक कब्ज़ा होगा। आज न्यायालय में सौंपे गए पे-ऑर्डर और दो चेकों के अलावा, प्रतिवादीगण ने इससे पहले 05.01.2006 के पे-ऑर्डर के माध्यम से डीडीए के पक्ष में 80,65,861/- रुपये का भुगतान किया था, जो वादी की ओर से किया गया भुगतान है।

4. आवेदन पर वादी तथा प्रतिवादी सं. 2 और 3 के हस्ताक्षर हैं, और उक्त पक्षकारों के शपथ-पत्रों द्वारा इसका समर्थन किया गया है। इस आवेदन पर प्रतिवादी सं. 1, 2 और 3 के अधिवक्ता तथा वादी के भी हस्ताक्षर हैं, जो अब तक स्वयं उपस्थित होते रहे थे।

5. मैंने समझौते की शर्तों की जाँच कर ली है और मैं संतुष्ट हूँ कि यह मुकदमा पूरी तरह से सुलझ गया है और इसमें समझौता हो गया है। तदनुसार, आवेदन में बताई गई शर्तों को रिकॉर्ड पर ले लिया गया है। यह समझौता वैध है। डिक्री समझौते के आवेदन (प्रदर्श ग-1) की शर्तों के अनुसार तैयार की जाए, जो डिक्री का भी हिस्सा होगा। यह आवेदन और मुकदमा अब समाप्त माने जाएँगे।

मामले में दी गई अगली तारीख रद्द की जाती है।"

(जोर दिया गया)

12. वादी का जन्म 18.05.1991 को हुआ था। जब संशोधन हुआ, तब वह नाबालिग थी। 18.05.2009 को उसने वयस्कता प्राप्त कर ली। उसने वयस्कता प्राप्त करने के तीन वर्षों के भीतर यह वर्तमान वाद दायर किया है। वाद-पत्र में यह कहा गया है कि चूंकि वाद सं. 1968/2003 का निपटान वादी के वयस्क होने के बाद किया गया था, इसलिए संपत्ति में सह-भागीदारी के रूप में उसके अधिकारों का निर्णय न्यायालय द्वारा नहीं किया गया है, और उसे सह-भागीदारी संपत्ति में उसके हिस्से से वंचित कर दिया गया है।

13. वाद-पत्र में यह कहा गया है कि वर्ष 2003-04 और 2004-05 के आयकर रिटर्न से एल.आर. गुप्ता एचयूएफ का अस्तित्व स्पष्ट रूप से परिलक्षित होता है, जो अन्य वादों में उठाए गए इस तर्क के विपरीत है कि उक्त एचयूएफ वर्ष 1993 में ही विघटित हो गया था।

14. यह कहा गया है कि वादी और प्रतिवादी संख्या 4 को दिनांक 09.01.2006 को इस न्यायालय द्वारा वादी की ओर से दर्ज किए गए समझौते के तहत कुछ भी प्राप्त नहीं हुआ है। यह कहा गया है कि वादी के पक्ष में और प्रतिवादी संख्या 1 और 2 के विरुद्ध लगभग 100 करोड़ रुपये की राशि देय होगी। वादी का कहना है कि यह समझौता हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम के प्रावधानों के विपरीत है।

15. प्रतिवादीगण ने लिखित बयान और दस्तावेज़ दाखिल किए हैं। प्रतिवादी संख्या 2, 5, 6 से 19, 20 और 21 ने वाद को खारिज करने के लिए आवेदन

दायर किए हैं, जिसमें तर्क दिया गया है कि एक बार एचयूएफ परिवार का विभाजन हो जाने के बाद, विभाजन के बाद एचयूएफ परिवार के अस्तित्व में रहने का कोई उल्लेख न होने के कारण, वादी, जो अपने पिता (इस मुकदमे में प्रतिवादी संख्या 3) के माध्यम से दावा कर रही है, विभाजन का मुकदमा नहीं कर सकती।

16. आवेदक/प्रतिवादीगण ने यह कहते हुए आवेदन दायर किए हैं कि यह मुकदमा सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश VII नियम 11 के तहत वर्जित है, क्योंकि वादपत्र और उसमें दाखिल किए गए दस्तावेजों में यह दर्ज है कि संपत्ति का बंटवारा वर्ष 1993 में हुआ था। यह कहा गया है कि परिवार में बंटवारा वर्ष 1993 में हो चुका है और उसी संपत्ति का दोबारा बंटवारा करना वैध नहीं है, इसलिए यह कानून द्वारा वर्जित है। प्रतिवादीगण के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि प्रतिवादी संख्या 3 के बच्चे बार-बार वाद संख्या 1968/2003 में पक्षकार के बीच हुए समझौते को दोबारा खोलने का प्रयास कर रहे हैं, जिसे दिनांक 9 जनवरी 2006 को समझौते के अनुसार तय किया गया था।

17. आवेदक/प्रतिवादीगण के विद्वान अधिवक्ता ने यह तर्क दिया है कि एक बार जब प्रतिवादी सं. 3, जो वादी के पिता हैं और वाद सं. 1968/2003 में स्वयं वादी हैं, ने एचयूएफ में अपना हिस्सा ले लिया है और परिवार से अलग हो गए हैं, तो उनकी पुत्री (जो इस मामले में वादी है) एचयूएफ के बँटवारे के लिए अलग से कोई वाद दायर नहीं कर सकती। यह कहा गया है कि वादी का

अधिकार केवल उसके पिता, अर्थात् यहाँ प्रतिवादी सं. 3 के माध्यम से ही बनता है; जिन्होंने वाद सं. 1968/2003 दायर किया था, जिसका निपटान 09.01.2006 को पक्षकारों के बीच हुए समझौते के अनुसार कर दिया गया है। यह कहा गया है कि जब एक बार प्रतिवादी सं. 3 की एक शाखा अपना हिस्सा लेकर अलग हो चुकी है, तो प्रतिवादी सं. 3 के माध्यम से दावा करने वाले व्यक्ति के लिए अब अपने हिस्से का दावा बनाए रखना संभव नहीं है। आगे यह तर्क दिया गया है कि जिस दिन मुकदमा दायर किया गया था, उस समय हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम में संशोधन नहीं हुआ था। यह कहा गया है कि बँटवारा उसी दिन से प्रभावी माना जाएगा जिस दिन मुकदमा दायर किया गया था; और उस तारीख को वादी का कोई अधिकार नहीं था, क्योंकि बँटवारा उस समय हुआ था जब हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम में संशोधन नहीं हुआ था, और इसलिए संपत्तियों का लाभ वादी को नहीं मिल सकता था।

18. आवेदक/प्रतिवादीगण के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि वाद-पत्र के पैरा 43 में एचयूएफ के विभाजन को स्वीकार किया गया है और यह समझौता किसी भी प्रकार से चुनौती के अधीन नहीं है। यह तर्क दिया गया है कि यह वाद (क) विधि की दृष्टि से वर्जित है, क्योंकि पूर्व में ही विभाजन हो चुका है; और (ख) एचयूएफ के विरुद्ध वाद का कोई कारण उत्पन्न नहीं होता, क्योंकि अब एचयूएफ का अस्तित्व ही शेष नहीं है।

19. यह कहा गया है कि वाद-पत्र में ऐसा कोई कथन नहीं है कि दिनांक 09.01.2006 के समझौते के बाद एचयूएफ का संयोजन हुआ था, जिसके बाद प्रतिवादी सं. 3 अपना स्वयं का एचयूएफ बना सकता था, क्योंकि स्वर्गीय श्री एल.आर. गुप्ता के एचयूएफ का अस्तित्व समाप्त हो चुका है। यह कहा गया है कि उस समय वादी और प्रतिवादी सं. 4 अवयस्क थे, इसलिए यहाँ प्रतिवादी सं. 3 ने वादी और प्रतिवादी सं. 4 की ओर से कार्य किया, क्योंकि उनके हिस्से वंश के आधार पर निर्धारित किए गए हैं। आगे यह तर्क दिया गया है कि वादी द्वारा विभाजन का वाद केवल उसके पिता, अर्थात् यहाँ प्रतिवादी सं. 3 के विरुद्ध ही दायर किया जा सकता है।

20. इसके विपरीत, वादी के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि बँटवारा आंशिक था और 09.01.2006 के बाद भी एचयूएफ बना रहा। उनका कहना है कि यह तथ्य कि प्रतिवादी सं. 3 ने समझौता कर लिया, वादी और प्रतिवादी सं. 4 के हिस्सों को समाप्त नहीं करता, क्योंकि केवल प्रतिवादी सं. 3 ही परिवार से अलग हुआ था, जिसका बच्चों और उनके हिस्सों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा।

21. वादी के विद्वान अधिवक्ता ने वल्लियममई अची बनाम नागप्पा चेट्टियार व अन्य, **1967 SCC OnLine SC 32** पर भरोसा जताया। उन्होंने आगे शालिनी सुमंत राउत व अन्य बनाम मिलिंद सुमंत राउत व अन्य, **2012 SCC OnLine Bom 1839** पर भी भरोसा जताया, जिसमें इस प्रश्न पर

विचार किया गया है कि क्या कोई पोता-पोती बँटवारे के लिए मुकदमा दायर कर सकता है।

22. आगे यह तर्क दिया गया है कि एक पोता-पोती बँटवारे के लिए मुकदमा दायर कर सकते हैं, लेकिन उनका हिस्सा वंश के आधार पर निर्धारित किया जाएगा; साथ ही, इस मामले के तथ्य यहाँ लागू नहीं होते, क्योंकि यह मामला उस स्थिति से संबंधित नहीं है जब किसी मौजूदा एचयूएफ में बँटवारा पहले ही हो चुका हो।

23. पक्षकारों के विद्वान अधिवक्तागण को सुना गया और अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री का अवलोकन किया गया।

24. विचार हेतु जो संक्षिप्त प्रश्न उठता है, वह यह है कि क्या वाद-पत्र को इस आधार पर खारिज किया जा सकता है कि वह सी.पी.सी. के आदेश VII नियम 11(घ) के अंतर्गत आता है। आवेदक/प्रतिवादीगण का यह मामला है कि यहाँ प्रतिवादी सं. 3, अर्थात् वादी के पिता द्वारा दायर वाद सं. 1968/2003 का निपटान 09.01.2006 की समझौता-सहमति के आधार पर किया गया था, जिसमें यह दर्ज किया गया था कि वर्ष 1993 में बँटवारा हो चुका था।

25. आवेदन में यह दर्ज है कि समझौते की शर्तों के अनुसार, वाद सं. 1968/2003 के वादी को दो अचल संपत्तियों, अर्थात् संपत्ति सं. 4, पालम मार्ग, वसंत विहार, नई दिल्ली, और संपत्ति सं. 5, वसंत मार्ग, वसंत विहार, नई दिल्ली का अनन्य और पूर्ण स्वामित्व प्रदान किया गया है। इसके अतिरिक्त,

वादी ₹6.5 करोड़ के मौद्रिक मुआवज़े का हकदार था, जिसमें 5 जनवरी, 2006 की तारीख वाले पे ऑर्डर सं. 371547 के माध्यम से ₹3.5 करोड़, और 5 जनवरी, 2009 की तारीख वाले ₹1.5 करोड़ के दो पोस्ट-डेटेड चेकों (सं. 709687 और 709688) के माध्यम से ₹3 करोड़ शामिल थे। इसके बाद, प्रतिवादीगण ने संपत्तियों का खाली कब्ज़ा, सभी मूल दस्तावेजों के साथ, वादी को सौंप दिया; इस प्रकार, उन्होंने पूर्ण स्वामित्व और नियंत्रण हस्तांतरित कर दिया।

26. आवेदन में यह कहा गया है कि संपत्ति सं. 4, पालम मार्ग, जो कि एक पट्टाधारी संपत्ति थी, को दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) की योजना के तहत फ्रीहोल्ड में बदला जाना था। हालाँकि, प्रतिवादीगण ने इस संबंध में बदलाव की प्रक्रिया शुरू कर दी थी और ज़रूरी शुल्कों का कुछ हिस्सा भी चुका दिया था, लेकिन इस बदलाव की प्रक्रिया को पूरा करने की ज़िम्मेदारी वादी की थी। उस मामले में प्रतिवादीगण को–विशेष रूप से श्री संजय गुप्ता को, कोई भी अतिरिक्त खर्च, जिसमें बकाया रूपांतरण शुल्क और स्टाम्प ड्यूटी शामिल हैं, वहन करना था, और 'पावर ऑफ़ अटॉर्नी' धारक के रूप में सभी आवश्यक दस्तावेजों को निष्पादित करने में सहायता करनी थी। वाद सं. 1968/2003 में वादी ने डीडीए के साथ इस मामले को आगे बढ़ाने और रूपांतरण संबंधी औपचारिकताओं को पूरा करने का दायित्व लिया था।

27. आवेदन में यह कहा गया है कि वाद सं. 1968/2003 में वादी ने वाद-पत्र की अनुसूची 'क' और अनुसूची 'ख' में सूचीबद्ध किसी भी अन्य चल या अचल संपत्ति पर, तथा साथ ही प्रतिवादीगण द्वारा व्यक्तिगत रूप से, सामूहिक रूप से, या परिवार के स्वामित्व वाली कंपनियों के माध्यम से धारित किसी भी संपत्ति पर अपने सभी दावों, अधिकारों और हितों का त्याग कर दिया था। इसके बदले में, उसमें शामिल प्रतिवादीगण ने उन संपत्तियों पर अपने किसी भी वर्तमान या भविष्य के दावे को छोड़ दिया था, जो अब वादी के पास हैं। उक्त संपत्तियों पर निपटान की तारीख तक के सभी लंबित दायित्व, जिनमें आयकर, संपत्ति कर, गृह कर और उपयोगिता शुल्क शामिल हैं, प्रतिवादीगण द्वारा वहन किए जाने थे। वाद सं. 1968/2003 के वादी को, इस निपटान की तारीख के बाद उत्पन्न होने वाले ऐसे दायित्वों की ज़िम्मेदारी लेनी थी।

28. इसमें यह कहा गया है कि उस समय चल रहे मुकदमों के संबंध में– जिनमें नि.प्र.अ. सं. 309/80, 310/80, 356/80, 357/80, और नि.प्र.अ. सं. 83/87, 84/87, 85/87, और 86/87 शामिल हैं, और जिनमें अधिग्रहित भूमि तथा मुआवज़े को लेकर विवाद थे–उन मामलों में वादी ने, इन मामलों में दिए गए या दिए जाने वाले बढ़े हुए मुआवज़े पर अपने किसी भी दावे को त्याग दिया था। इसमें प्रतिवादीगण को इन मुकदमों को चलाने से जुड़े सभी खर्च, व्यय और जिम्मेदारियाँ उठानी थीं। वादी ने इन कार्यवाहियों में पूरी तरह सहयोग करने पर सहमति जताई थी, जिसके तहत वह आवश्यक होने पर कोई भी शपथ-पत्र, आवेदन या बयान उपलब्ध कराएगा; बशर्ते कि ऐसे कार्यों से

उसके हितों को कोई नुकसान न पहुँचे। यदि वाद सं. 1968/2003 में वादी अनुपालन करने में विफल रहता है, तो उसमें प्रतिवादीगण को होने वाली किसी भी परिणामी हानि के लिए उसे उत्तरदायी ठहराया जाएगा।

29. अतः, प्रस्तुत वाद में प्रतिवादीगण का यह तर्क है कि जब संपत्ति का बँटवारा पहले ही हो चुका है और वादी के पिता अलग हो चुके हैं, तो उनकी पुत्री–अर्थात् प्रस्तुत वादी–उसी संपत्ति के बँटवारे के लिए पुनः वाद दायर नहीं कर सकती। यह कहा गया है कि वादी का हिस्सा केवल उसके पिता के माध्यम से ही मिलेगा, और चूंकि उसके पिता पहले ही अलग हो चुके हैं, इसलिए वादी उस संपत्ति के बँटवारे के लिए अलग से मुकदमा दायर नहीं कर सकती, जिसका बँटवारा पहले ही हो चुका है। प्रतिवादीगण का यह तर्क है कि बँटवारे की तारीख मुकदमे को दायर किए जाने के समय, अर्थात् 2003 से मानी जाएगी। संशोधन अधिनियम, जिसने बेटी का हिस्सा बढ़ाकर बेटे के हिस्से के बराबर कर दिया, वर्ष 2005 में ही आया था; और जिस तारीख को यह अधिनियम लागू हुआ, उस तारीख तक संपत्ति का बँटवारा पहले ही हो चुका था। इसलिए, वादी अलग से कोई मुकदमा दायर नहीं कर सकता। यह कहा गया है कि यह मामला केवल एक वैकल्पिक स्थिति के तौर पर है, क्योंकि प्रतिवादी सं. 3, वादी और प्रतिवादी सं. 4 वर्ष 1993 में ही अलग हो चुके थे, और वाद सं. 1968/2003 का निपटान हो चुका था। इसके अलावा, वह मुकदमा स्वयं भी विचारणीय नहीं था, क्योंकि प्रतिवादी सं. 3 वर्ष 1993 में ही अलग हो गया था।

30. इसके विपरीत, वादी का यह तर्क है कि संशोधन के द्वारा बेटी के अधिकार को बढ़ाकर बेटे के अधिकार के बराबर कर दिया गया है; वर्ष 2003 में हुए बँटवारे में, वादी और प्रतिवादी सं. 4 के हिस्से की गणना ठीक से नहीं की गई थी, और इसलिए वादी बँटवारे के लिए एक अलग मुकदमा दायर करने की हकदार है।

31. वादी का जन्म 18.05.1991 को हुआ था। हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम में संशोधन, जिसके तहत पुत्री को पुत्र के समान उत्तराधिकार का अधिकार दिया गया, दिनांक 9 सितंबर 2005 से प्रभावी हुआ। वादी दिनांक 18.05.2009 को बालिग हो गई। यह मुकदमा दिनांक 09.01.2006 को समझौते के माध्यम से निपटाया गया, यानी संशोधन अधिनियम के लागू होने के बाद। सर्वोच्च न्यायालय ने यह माना है कि संशोधन का प्रभाव पुत्री के जन्म की तिथि से प्रभावी होता है और संशोधन का प्रभाव संशोधन की तिथि पर नहीं देखा जा सकता।

32. शीर्ष न्यायालय ने 'दानम्मा उर्फ सुमन सुरपुर व अन्य बनाम अमर व अन्य', **(2018) 3 SCC 343** मामले में, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम में 2005 के संशोधन के मामले पर विचार किया और विभिन्न केस कानूनों का विश्लेषण करने के बाद, शीर्ष न्यायालय ने निम्नलिखित टिप्पणी की:-

> ***"22.*** *मिताक्षरा कानून के तहत आने वाले संयुक्त हिंदू परिवार से जुड़े कानून में अभूतपूर्व बदलाव आए हैं। ये बदलाव इसलिए किए गए हैं ताकि करीबी महिला रिश्तेदारों, अर्थात्, सह-भागीदार*

की बेटियों, को समान अधिकार देने की बढ़ती ज़रूरत को पूरा किया जा सके। इस धारा में यह प्रावधान है कि बेटी जन्म से ही सह-भागीदार होगी, और उसे बेटे के समान ही अधिकार और दायित्व प्राप्त होंगे। बेटी उस संपत्ति को सह-भागीदारी संपत्ति के रूप में धारण करेगी, जिसकी वह हकदार है; और इस संपत्ति को ऐसी संपत्ति माना जाएगा जिसका निपटान वह वसीयत के माध्यम से या किसी अन्य वसीयती व्यवस्था द्वारा कर सकती है। ये बदलाव समानता के सिद्धांत के आधार पर किए गए हैं, जिनका उद्देश्य उस कथित अक्षमता और पूर्वाग्रह को दूर करना है जिसका सामना बेटियों को करना पड़ता था। हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 में 2005 में किए गए संशोधन के माध्यम से लाए गए मौलिक परिवर्तन, संभवतः रोस्को पाउंड के उन अमर शब्दों की ही एक साकार अभिव्यक्ति हैं, जो उनके प्रसिद्ध ग्रंथ 'द आइडियल एलिमेंट इन लॉ' में मिलते हैं, कि "कानून को स्थिर होना चाहिए, फिर भी वह एक जगह रुका नहीं रह सकता। अतः, कानून के विषय में की गई समस्त चिंतन-मनन ने, स्थिरता की आवश्यकता और परिवर्तन की आवश्यकता–इन दो परस्पर विरोधी मांगों के बीच सामंजस्य बिठाने के लिए निरंतर संघर्ष किया है।"

23. *संशोधित धारा 6 में यह प्रावधान है कि संशोधित अधिनियम, 2005 के लागू होने की तारीख से, किसी सह-भागीदार की पुत्री जन्म से ही, पुत्र के समान ही, अपने अधिकार से सह-भागीदार बन जाएगी। यह स्पष्ट है कि पुरानी धारा और पुराने हिंदू कानून के तहत पुत्रों को जो दर्जा दिया गया था, उसके अनुसार उन्हें जन्म से ही सह-भागीदार माना जाता था। संशोधित प्रावधान अब बेटियों के भी सह-भागीदार होने के अधिकारों को जन्म से ही वैधानिक रूप से मान्यता देता है। यह धारा उन्हीं शब्दों का प्रयोग करती है, जिनका प्रयोग पुत्र के लिए किया गया है। इसलिए, यह स्पष्ट होना चाहिए कि किसी सह-भागीदार के पुत्र और पुत्री–दोनों को ही जन्म से सह-भागीदार बनने का अधिकार प्रदान किया गया है। सह-भागीदारी में जन्म*

लेना ही वह मूल तथ्य है जो सह-भागीदारी का निर्माण करता है; इसलिए, किसी सह-भागीदार के पुत्र और पुत्रियाँ जन्म के आधार पर ही सह-भागीदार बन जाते हैं। सह-भागीदार संपत्ति का हस्तांतरण, सह-भागीदार की मृत्यु के बाद की एक अवस्था तथा उसका ही एक परिणाम है। सह-भागीदारी का पहला चरण स्पष्ट रूप से उसका निर्माण है, जैसा कि ऊपर बताया गया है, और यह भली-भांति स्वीकृत है। सह-भागीदारी की विशेषताओं में से एक यह है कि किसी सह-भागीदार को अपनी स्थिति को अलग करने का अधिकार होता है। अतः, सह-भागीदारों के अधिकार जन्म से ही उत्पन्न होते हैं और प्राप्त होते हैं (अब इसमें बेटियाँ भी शामिल हैं), जैसा कि उप-धारा (1)(क) और (ख) से स्पष्ट है।

XXX

***25.** अतः, यह स्पष्ट है कि विभाजन का अधिकार समाप्त नहीं किया गया है। यह अधिकार अंतर्निहित है और इसका लाभ कोई भी सह-भागीदारी ले सकता है–अब तो एक बेटी भी, जो कि एक सह-भागीदारी है।*

***26.** वर्तमान मामले में, निस्संदेह, विभाजन का मुकदमा वर्ष 2002 में दायर किया गया था। हालाँकि, इस मुकदमे के लंबित रहने के दौरान, अधिनियम की धारा 6 में संशोधन किया गया था, क्योंकि विचारण न्यायालय द्वारा डिक्री वर्ष 2007 में ही पारित की गई थी। इस प्रकार, अपीलार्थीगण के अधिकार वर्ष 2005 में ही निश्चित हो गए थे, और इस बात को विचारण न्यायालय के साथ-साथ उच्च न्यायालय को भी ध्यान में रखना चाहिए था। इस न्यायालय ने गंदूरी कोटेश्वरम्मा बनाम चकिरी यानादी, (2011) 9 SCC 788 : (2011) 4 SCC (Civ) 880] मामले में यह अभिनिर्धारित किया कि संशोधित धारा 6 के अनुसार सह-भागीदारी संपत्ति में पुत्रियों के अधिकार केवल इस कारण से समाप्त नहीं हो जाते कि विभाजन वाद में कोई प्रारंभिक डिक्री पारित कर दी गई है। जहां तक बंटवारे के मुकदमों का प्रश्न है, बंटवारा तभी अंतिम माना जाता है जब*

कोई अंतिम डिक्री पारित हो जाए। ऐसी स्थिति उत्पन्न होने पर, 2005 के संशोधन द्वारा कानून में आए बदलाव को ध्यान में रखते हुए प्रारंभिक डिक्री में संशोधन करना होगा।"

33. शीर्ष न्यायालय ने विनीता शर्मा बनाम राकेश शर्मा व अन्य, **(2020) 9 SCC 1** मामले में, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 6 में किए गए संशोधन के प्रभाव का विश्लेषण करने के बाद, स्थिति को पुनः निम्नानुसार संक्षेप में प्रस्तुत किया है:-

***"137.** परिणामस्वरूप, हम संदर्भ का उत्तर निम्नानुसार देते हैं:*

***137.1.** हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 की संशोधित धारा 6 में निहित प्रावधान, संशोधन से पहले या बाद में जन्मी पुत्री को सह-भागीदार का दर्जा प्रदान करते हैं; यह दर्जा उसे ठीक उसी प्रकार प्राप्त होता है, जिस प्रकार पुत्र को, और उसके अधिकार तथा दायित्व भी समान होते हैं।*

137.2. पहले जन्मी बेटी 9-9-2005 से प्रभावी रूप से इन अधिकारों का दावा कर सकती है, बशर्ते धारा 6(1) में दिए गए अपवाद लागू हों; ये अपवाद उन मामलों पर लागू होते हैं जिनमें संपत्ति का निपटान, हस्तांतरण, बँटवारा या वसीयतनामा संबंधी निपटान 20 दिसंबर, 2004 से पहले हो चुका था।

137.3. चूँकि सह-भागीदारी में अधिकार जन्म से प्राप्त होता है, इसलिए यह आवश्यक नहीं है कि 9-9-2005 को पिता सह-भागीदार जीवित हों।

137.4. हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 की धारा 6 के परंतुक द्वारा बनाई गई विभाजन की कानूनी कल्पना जैसा कि यह मूल रूप से अधिनियमित की गई थी, से वास्तव में कोई विभाजन या सह-भागीदारी समाप्त नहीं हुई थी। यह कल्पना

केवल मृत सह-भागीदार का हिस्सा निर्धारित करने के उद्देश्य से थी, जब उसके जीवित उत्तराधिकारियों में 1956 के अधिनियम की अनुसूची में निर्दिष्ट 'वर्ग I' की कोई महिला उत्तराधिकारी, या ऐसी महिला का कोई पुरुष संबंधी शामिल हो। प्रतिस्थापित धारा 6 के प्रावधानों को पूर्ण प्रभाव दिया जाना आवश्यक है। भले ही कोई प्रारंभिक डिक्री पारित हो चुकी हो, फिर भी अंतिम डिक्री के लिए लंबित कार्यवाहियों में, या किसी अपील में, बेटियों को सह-भागीदारी में बेटे के बराबर ही हिस्सा दिया जाना चाहिए।

137.5. *1956 अधिनियम की धारा 6(5) के स्पष्टीकरण के प्रावधानों की कठोरता को देखते हुए, मौखिक विभाजन की दलील को वैधानिक रूप से मान्यता प्राप्त विभाजन विधि के रूप में स्वीकार नहीं किया जा सकता है, जैसा कि पंजीकरण अधिनियम, 1908 के प्रावधानों के तहत विधिवत पंजीकृत विभाजन विलेख या न्यायालय के निर्णय द्वारा किया गया विभाजन होता है। हालांकि, असाधारण मामलों में जहां मौखिक विभाजन की दलील सार्वजनिक दस्तावेजों द्वारा समर्थित है और विभाजन अंततः उसी तरह सिद्ध होता है जैसे कि न्यायालय के निर्णय द्वारा किया गया हो, तो इसे स्वीकार किया जा सकता है। केवल मौखिक साक्ष्य पर आधारित विभाजन की दलील को स्वीकार नहीं किया जा सकता है और इसे सीधे तौर पर खारिज कर दिया जाना चाहिए।"*

(जोर दिया गया)

34. वाद संख्या 1968/2003 का समझौता दिनांक 09.01.2006 को हुआ था। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित कानून को वर्तमान मामले के तथ्यों पर लागू करते हुए, वादी जन्म से ही संपत्ति में हिस्सेदारी की हकदार है और दानम्मा (उपरोक्त) मामले में सर्वोच्च न्यायालय के फैसले को लागू करते हुए, जिस तारीख को समझौता दर्ज किया गया था, उस दिन संशोधन अधिनियम

लागू हो चुका था और वादी के अधिकार को ध्यान में रखा जाना चाहिए था। इसे ध्यान में रखा जाना चाहिए या नहीं, यह मुकदमे की सुनवाई में स्पष्ट होगा। यह वाद कानून द्वारा वर्जित नहीं है। संपत्ति का बंटवारा हुआ था या नहीं, यह साक्ष्य प्रस्तुत करके सिद्ध किया जाएगा और अतः प्रतिवादीगण द्वारा उठाए गए आधारों पर वाद को खारिज नहीं किया जा सकता है।

35. आवेदन खारिज किए जाते हैं।

36. आगामी कार्यवाही हेतु दिनांक 12.02.2025 को विद्वान संयुक्त महानिबंधक के समक्ष सूचीबद्ध करें।

न्या. सुब्रमण्यम प्रसाद

20 जनवरी, 2025
एचएसके/जेपी

(Translation has been done through AI Tool: SUVAS)

अस्वीकरण : *देशी भाषा में निर्णय का अनुवाद मुकद्दमेबाज़ के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा। समस्त कार्यालयी एवं व्यावहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेज़ी स्वरूप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।*